राजस्थान – सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– मनोज आर.ए.एस.

निस्तारण संख्या – 110/24 प्रा-पत्र

1. श्री कितर s/o श्री बख्तावर बैरवा निवासी-भगवानपुरा तहसील-माण्डल

प्रार्थी

बनाम

1. श्री कपा s/o देवी बाबाई निवासी-भगवानपुरा तहसील-माण्डल (भीलवाड़ा)
(मुकाबिल प्रार्थी पत्र सा.)

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-126 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक– 21.5.24

आदेश:

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-126 रा.भू.रा.अधि. 1956 को सहित प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का भगवानपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की भगवानपुरा 08 1.6440 हेक्टेयर स्थित है। पाटवरसा भूमि 1068/1067 1068 1069 1073, 1074, 5283/1062, 5284/1062 के मौके आराजी मुताबिक सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान करवाये जावें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 08-05-24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण की कार्यवाही से यह बात सिद्ध है कि पाटवरसा भूमि प्रार्थी एवं अन्य काश्त काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए विपक्षीगण की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश:

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-126 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का भगवानपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 1063, 1064, 1068, 1069, 1073, 1074, 5283/1062, 5284/1062 भगवानपुरा 08 1.6440 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुष्टि कर पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक भगवानपुरा 600 रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर मौकाकरान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की स्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तावील [illegible] की जावें। फसल खड़ी होने पर [illegible] नहीं की जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2024.06.13 10:46:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

नोटिस:– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल